भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2393
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

शिक्षा और रोजगार

2393. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एक नई राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं ऐसी नीति को शुरू करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार बेरोजगारी और उच्च शिक्षा में बढ़ती क्षेत्रीय असमानता से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार के अनुसार महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में गैर-कृषि रोजगार में गिरावट के प्रभाव क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्तमान में राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा बनाने हेतु कोई समिति नहीं है। देश में रोजगार एवं बेरोजगारी परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, सरकार ने तीन सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं यथा (i) अखिल-भारतीय तिमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस); (ii) प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; तथा (iii) घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों को शामिल करेंगे।

(ख) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों, 2017-18, 2018-19, 2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (महाराष्ट्र, केरल एवं उत्तर प्रदेश सहित) ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है। 2017-18, 2018-19, 2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति आधार के अनुसार, सामान्य शिक्षा स्तर (माध्यमिक और उससे अधिक) के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (महाराष्ट्र, केरल एवं उत्तर प्रदेश सहित) विवरण अनुबंध-।। में दिया गया है। .

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं। इन कदमों में रोजगार मेलों का आयोजन, आधुनिक कैरियर केंद्रों की स्थापना, रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना, स्व-रोजगार को बढ़ावा देना, कौशल प्रदान करके रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता बढ़ाना, विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का कार्यान्वयन करना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और शिक्षा एवं रोजगार के बीच अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लाई है जिसका लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को एक चरणबद्ध ढंग से समस्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की मुख्यधारा में एकीकृत करना है। मिडिल एवं माध्यमिक स्कूल में बाल्यावस्था आयु में ही व्यावसायिक शिक्षा के प्रकटीकरण से शुरू करते हुए, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को सरलता से उच्चतर शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। यह धारणीय विकास लक्ष्य 4.4 के अनुरूप है तथा इससे भारत की जनांकिक लांभाश की पूर्ण संभाव्यता को पहचानने में मदद मिलेगी।

शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए शिक्षुता एवं कौशल (श्रेयस) हेतु एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है-जो कि एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपाधि, मुख्यतः गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों हेतु कल्पित किया गया है जो उनके शिक्षण में नियोजनीय कौशलों को आरंभ करने, शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता का संवर्द्धन करने तथा शिक्षा प्रणाली के रोजगार सुकर करने प्रयासों को भी समामेलित करने हेतु है ताकि विद्यार्थियों को अपने स्नातक के दौरान तथा उसके उपरांत रोजगार अवसरों की दिशा में सुस्पष्ट मार्ग उपलब्ध हो सके।

युवाओं की रोजगार तक पहुंच के लिए उनकी नियोजनीयता को बढ़ाने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), "राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस)" को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, पक्षसमर्थन तथा कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) आदि में उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास हेतु एक समर्थकारी ईकोसिस्टम सृजित करने हेतु एक पायलट योजना, प्रधान मंत्री युवा (पीएम-युवा) योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लाभार्थियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्लस्टर कारीगरों को उनकी आजीविका जुड़ाव हेतु क्षमता निर्माण एवं दस्तकारी सहायता भी प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमशीलता विकास हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशलीकरण हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। योजना का उद्देश्य युवाओं सहित ग्रामीण निर्धनों की गैर-कृषीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है।

वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से संबंधित कार्यकलापों में हरित क्षेत्र निवेश उद्यम (ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज) की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक ऋणी तथा एक महिला ऋणी को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का प्रति बैंक शाखा किसी अनुसूचित व्यापारिक बैंक (एसबीसी) से ऋण देने को सरल बनाने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 13.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2393 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2017-18, 2018-19, 2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण,

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	बेरोजगारी दर (% में)		
	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7
अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7
असम	7.9	6.7	7.9
बिहार	7.0	9.8	5.1
छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3
दिल्ली	9.4	10.4	8.6
गोवा	13.9	8.7	8.1
गुजरात	4.8	3.2	2.0
हरियाणा	8.4	9.3	6.4
हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7
झारखंड	7.5	5.2	4.2
कर्नाटक	4.8	3.6	4.2
केरल	11.4	9.0	10.0
मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0
महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2
मणिपुर	11.5	9.4	9.5
मेघालय	1.6	2.7	2.7
मिजोरम	10.1	7.0	5.7
नागालैंड	21.4	17.4	25.7
ओड़िसा	7.1	7.0	6.2
पंजाब	7.7	7.4	7.3
राजस्थान	5.0	5.7	4.5
सिक्किम	3.5	3.1	2.2
तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3
तेलंगाना	7.6	8.3	7.0
त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2
उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1
उतर प्रदेश	6.2	5.7	4.4
पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6
चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3
दादरा और नगर हवेली	0.4	1.5	3.0
दमन और दीव	3.1	0.0	2.9
जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7
लद्दाख	-	-	0.1
लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7
पुदुचेरी	10.3	8.3	7.6
अखिल भारत	6.0	5.8	4.8

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2017-18,2018-19,2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 13.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2393 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18, 2018-19, 2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति आधार के अनुसार सामान्य शिक्षा स्तर (माध्यमिक और उससे अधिक) के 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	सामान्य शिक्षा स्तर (माध्यमिक और उससे अधिक) (% में)		
	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	14.0	15.2	13.6
अरुणाचल प्रदेश	12.5	15.8	15.7
असम	13.6	12.2	13.5
बिहार	10.0	14.5	10.0
छत्तीसगढ	8.6	5.0	8.5
दिल्ली	12.4	10.8	11.5
गोवा	15.6	12.8	11.6
गुजरात	7.5	5.4	3.9
हरियाणा	11.8	12.9	9.7
हिमाचल प्रदेश	9.7	9.2	6.5
झारखंड	13.7	9.6	9.6
कर्नाटक	9.1	7.0	9.1
केरल	19.8	16.2	16.7
मध्य प्रदेश	8.6	6.8	7.1
महाराष्ट्र	8.0	8.2	5.6
मणिपुर	17.7	13.1	14.2
मेघालय	5.7	8.8	10.9
मिजोरम	16.0	10.5	11.6
नगालैंड	30.4	26.6	36.6
ओड़ीसा	16.1	16.0	16.9
पंजाब	11.4	11.2	11.7
राजस्थान	11.3	13.7	11.7
सिक्किम	8.4	6.5	5.9
तमिलनाडु	15.4	14.0	11.7
तेलंगाना	15.3	16.7	14.0
त्रिपुरा	12.2	17.2	8.3
उत्तराखंड	12.9	13.6	12.6
उतर प्रदेश	10.9	10.3	8.7
पश्चिम बंगाल	9.5	9.0	10.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26.3	24.7	23.2
चंडीगढ़	12.4	8.5	6.9
दादरा और नगर हवेली	0.7	4.0	6.7
दमन और दीव	6.5	0.1	4.5
जम्मू और कश्मीर	11.4	11.8	14.6
लद्दाख	-	-	0.3
लक्षद्वीप	26.3	42.0	20.3
पुदुचेरी	14.0	11.4	10.5
अखिल भारत	11.4	11.0	10.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2017-18,2018-19,2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।